



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18062026-273561
CG-DL-W-18062026-273561

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19]

नई दिल्ली, जून 7—जून 13, 2026, शनिवार/ज्येष्ठ 17—ज्येष्ठ 23, 1948

No. 19]

NEW DELHI, JUNE 7—JUNE 13, 2026, SATURDAY/JYAISHTHA 17—JYAISHTHA 23, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 2026

सा.का.नि. 107.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, के चीनी प्रौद्योगिकी प्रभाग भर्ती नियम, 2008 को जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (चीनी प्रौद्योगिकी) के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (चीनी प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (चीनी प्रौद्योगिकी), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके साथ वेतन मैट्रिक्स का स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत इन नियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकेगी।

6. व्यावृत्ति (सेविंग)- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (चीनी प्रौद्योगिकी)	08* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -6 (35,400 -1,12,400 रु-)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण - 1 : आयु सीमा अवधारित निर्धारित करने की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जायेगी।	अनिवार्य: विज्ञान / इंजीनियरिंग (इंजी.) में स्नातक की डिग्री के साथ (क) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर द्वारा चीनी प्रौद्योगिकी में एसोसियेटशिप; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से चीनी प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। वांछनीय: (क) उत्पादन रसायनज्ञ (मेन्युफेक्चरिंग केमिस्ट) के रूप में चीनी मिल में दो वर्ष कार्य करने का अनुभव अथवा किसी सरकारी संगठन के

	अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान/कार्य करने का अनुभव रखते हो। (ख) शैक्षणिक अनुभव टिप्पण 1 - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 - अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगा या नहीं	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेसन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
आयु- नहीं शैक्षिक योग्यता- हाँ	सीधी भर्ती और प्रोन्नत (प्रमोटी) के लिए दो वर्ष	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा/प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/प्रोन्नति केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी: - (क) (i) मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या (ii) मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (रु. 29200-92300/-) में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात प्रदान किए गए ग्रेड में छह वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो। टिप्पण 1: - तकनीकी सहायक (चीनी प्रौद्योगिकी) वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (रु. 29200-92300/-) के ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा और उन्नत प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से गुणवत्ता आश्वासन और सीधी भर्ती द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण में 2 से 4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा	समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)- 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. उप सचिव/निदेशक, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय -सदस्य 3. आचार्य (शर्करा प्रौद्योगिकी), राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य

करने वालों पर भी बाहरी लोगों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय उम्मीदवार पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2: - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--

वे परिस्थितियाँ जिनके अन्तर्गत भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

[फा. सं. ए-12018/1/2021-एसए]

अनिल कुमार गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)**

New Delhi, the 2nd June, 2026

G.S.R. 107.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Sugar Technology Division Recruitment Rules, 2008, in so far as they relate to the post of Senior Technical Assistant (Sugar Technology), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant (Sugar Technology) in the National Sugar Institute, Kanpur in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the, National Sugar Institute, Senior Technical Assistant (Sugar Technology), Group ‘B’ Post Recruitment Rules 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix. – The number of post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Senior Technical Assistant (Sugar Technology).	08* (2026) * Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 (Rs. 35,400 – 1,12,400/-).

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection	Not exceeding thirty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by the Central Government.) Note- 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential: Bachelor Degree in Science / Engineering with (i) Associateship in Sugar Technology by National Sugar Institute, Kanpur ; or (ii) Post Graduate Diploma in Sugar Technology from a recognised university/institute. Desirable: (i) Two years practical experience in a sugar factory as a manufacturing chemist or research/practical experience in a research institution of a Government organisation. (ii) Teaching experience. Note1: Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates, possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Age- No Educational Qualification- Yes	Two years for direct recruits and promotees	(i) 50% by direct recruitment (ii) 50 % by deputation including short term contract/promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
(11)	(12)
Deputation (including short term contract)/Promotion Officers under the Central Government/State Government/ Union Territory Administrations/Recognised Universities/ Recognised Research Institutions/Public Sector Undertaking/statutory or autonomous organizations: - (A)(i) holding analogous posts on regular basis in parent cadre/Department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay level-5 of Rs. 29200-92300/- or equivalent, in the parent Cadre/Department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note 1:-The Departmental Technical Assistant (Sugar Technology) in Level-5 Rs. 29200-92300/- with six years of regular service in the grade and having successfully completed mandatory training of 2 to 4 weeks in Quality Assurance and Quality Control from the Advanced Training Institute or some other recognised organisation or institute, will also be considered along with outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2:- The Period of Deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3:- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding Fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)- 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman 2. Deputy Secretary/Director, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution -Member 3. Professor (Sugar Technology), National Sugar Institute, Kanpur -Member

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(13)
Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/1/2021-SA]

ANIL KUMAR GUPTA, Under Secy.